पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0नं0 221/2025

1 लिछमा पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी मानकटेडी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीया

बनाम

1 तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादी

डिक्री   दिनांक 17/3/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी राजकीयवकील अंतिम निस्तारण/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं० 2 सीडीआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 80/72 तथा इसी चक के खाता सं0 79/71 व चक नं0 5 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 181/169 में अंकित वादीया का नाम लक्ष्मीदेवी पत्नी सोहनलाल के स्थान पर दुरुस्त किया जाकर सही नाम लिछमा पत्नी सोहनलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है यदि वादीया पर किसी भी प्रकार कोई आपराधिक प्रकरण या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/3/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।